

सी. शंकरनारायणन इत्यादि

बनाम

केरल राज्य

4 मई, 1971

[के.एस. हेगड़े और ए.एन. गोवर, जेजे.]

केरल शिक्षा नियम, 1959- अध्याय xx, अध्याय XXVIIA और XXVIIIB के प्रावधान परस्पर अनन्य हैं - सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक जिनके अध्याय XIV के नियम 2 के तहत विकल्प लिया वह अध्याय XXVIIIB द्वारा शासित है - अध्याय XXVIIA के नियम 8 के आधार पर सेवानिवृत्ति का दावा नहीं कर सकते।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति सरकार और कर्मचारियों के बीच किसी समझौते द्वारा नियंत्रित नहीं होती है - सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 55 वर्ष करने पर अनुच्छेद 311(2) लागू नहीं होता।

सी.ए. नं. 1789/69 में अपीलार्थी केरल के एक निजी सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक था जबकि अन्य अपीलार्थी प्रासंगिक समय पर सरकारी विद्यालयों में शिक्षक थे। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक संघों ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों कीं, जिनमें से एक यह थी कि स्कूली शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष की जानी चाहिए। जुलाई 1966 में सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई। हालांकि 4 मई, 1967 को सरकार द्वारा पहले के आदेशों को निरस्त करते हुए एक और आदेश दिया गया और सभी सरकारी कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु फिर से 55 वर्ष तय की गई। दोनों अवसरों पर संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा बनाए

गए केरल सेवा नियमों और साथ ही साथ केरल शिक्षा अधिनियम 6 ऑफ़ 1949 की धारा 36 के तहत सरकार द्वारा बनाये गए केरल शिक्षा नियम, 1959 में आवश्यक संशोधन किए गए। 1959 के नियम मूल रूप से अध्याय XXVII में निहित हैं। फरवरी 1965 में इस अध्याय का नाम बदलकर अध्याय XXVII-A कर दिया गया। दूसरा अध्याय XXVII-B जोड़ा गया। अध्याय XXVII में दर्शित नियम 'पेंशन' शीर्ष के तहत प्रदत्त करता है कि 4-9-1957 से पहले किसी भी सहायता प्राप्त स्कूल की सेवा में रहने वालों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी। अध्याय XXVII-B में हालांकि यह निर्धारित किया गया था कि इसमें नियम सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होंगे, जिनके लिए केरल शिक्षा नियम के अध्याय XIV(c) में नियम हैं। उक्त अध्याय के नियम 4 में आगे कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए लागू सेवानिवृत्ति पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होगी। अध्याय XIV(c) के नियम 2 में प्रावधान किया कि जो शिक्षक 1-10-1964 को सेवा में थे, उनके पास या तो अध्याय XIV (B) के नियमों के तहत जारी रखने या उस अध्याय अर्थात् XIV (C) के नियमों के तहत आने का विकल्प होगा। इस तरह के विकल्प का उपयोग करने पर इसे अंतिम माना जाना था। सी.ए. सं. 1789/69 में अपीलार्थी ने इसलिए सीमित अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग किया और इस प्रकार अध्याय XIV (सी) में नियमों द्वारा शासित होने लगा। जब सरकार ने 55 वर्ष की आयु में अपीलार्थियों को सेवानिवृत्त करने की मांग की तो उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इसके लिए विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील की गई है।

अभिनिर्धारित किया : (i) उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय लेना सही था कि अध्याय XXVIIA और अध्याय XXVII B के प्रावधान पारस्परिक रूप से अनन्य थे। अध्याय XXVII B स्वतंत्र और अलग प्रावधान करता है जो अध्याय XXVIIA में निहित

प्रावधानों के असंगत हैं। चूंकि सी.ए. नं.1789/69 में अपीलार्थी एक सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक थे।, इसलिए अध्याय XVIIIB के नियम 4 के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के समान होगी। बाद के वर्ग के शिक्षकों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी और इसके बाद उक्त अपीलार्थी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु होगी। अध्याय XIV(c) का नियम 2 (ए) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो शिक्षक अध्याय V(c) प्रावधानों के तहत आते हैं 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। अध्याय XXVIIA का नियम 8 को उक्त अपीलार्थी पर लागू नहीं किया जा सका क्योंकि यह एक सामान्य नियम था और जब उसने अध्याय XXVIIIB और Ch. XIV (c) के नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुना था, सेवानिवृत्ति के मामले में भी उन्हें सरकारी स्कूल के शिक्षक के समान पद पर आसीन कर दिया गया। [658 डी-जी]

(ii) अधिनियम 6 ऑफ 1959 की धारा 12 के तहत सरकारी कर्मचारियों या सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सरकार की शक्ति को किसी भी तरह से सरकार और अध्यापकों के बीच एक कथित समझौते से नहीं रोका जा सकता है, भले ही ऐसा कोई समझौता सिद्ध हो गया हो। [659 बी-सी]

(iii) निरोध के नियम को भी मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता था। सरकार द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन किए जाने का कोई सवाल ही नहीं था, जिस पर अपीलार्थियों द्वारा उनके नुकसान के लिए कार्रवाई की गई हो। [659 एफ]

भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड [1968] 2 एस.सी.आर. 366, विशिष्ट।

(iv) सेवानिवृत्ति से संबंधित नियम में परिवर्तन वैध रूप से किया जा सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद 311(2) या अनुच्छेद 14 को आकर्षित नहीं करता है।
[660 ई]

बिशुन नारायण मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [1965] 1 एस.सी.आर: 693, भरोसा किया।

(v) यह तर्क कि एक बार सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी, केरल सेवा नियमों के नियम 5 और 6 के प्रावधानों के कारण इसे घटाकर 55 वर्ष नहीं किया जा सकता है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष नहीं उठाया गया था। इस न्यायालय की सामान्य प्रथा बहुत विशेष प्रकृति के मामले को छोड़कर कोई नया मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं देना है। [660 एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1789 से 1791/1969।

(रिट अपील संख्या 126/1968 और 762/1969 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों दिनांक 11 जून, 1969 और 10 जुलाई, 1969 से विशेष अनुमति द्वारा अपीलें।)

के.टी. हरिंद्रनाथ, विष्णु बहादुर सहारिया और यौगिन्द्र खुशालानी, अपीलार्थियों की ओर से (सभी अपीलों में)।

ए.आर. सोमनाथ अय्यर और एम.आर.कृष्ण पिल्लई, प्रत्यर्थी (केरल राज्य) की ओर से (सभी अपीलों में)।

पी.सी. चंडी, हस्तक्षेप करता की ओर से (सभी अपीलों में)।

न्यायालय का निर्णय **गोवर न्यायाधिपति** द्वारा दिया गया।

विशेष अवकाश द्वारा ये अपीलें केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक निर्णय से हैं जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय जिन्होंने अपीलार्थियों की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था की पुष्टि की।

सी.ए. 1789/69 में अपीलार्थी ने 14 मार्च, 1946 को एक निजी सहायता प्राप्त विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में सेवा में प्रवेश किया। सी.ए. 1790/69 में दोनों अपीलार्थीगण मूल रूप से सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षकों के रूप में सेवा में शामिल हुए थे लेकिन उन्होंने सरकारी विद्यालय सेवा में क्रमशः 17 अगस्त, 1958 और 13 दिसंबर, 1948 को प्रवेश किया। इसी तरह सी.ए. 1791/69 में अपीलार्थी शिक्षक के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हुआ और 2 जुलाई, 1968 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त की।

ऐसा प्रतीत होता है कि 22 नवंबर, 1965 को सरकारी और निजी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों के सभी संघों, जिसमें अपीलकर्ता सदस्य थे, ने सरकार को विभिन्न मांगें करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इनमें से एक (संख्या 11) यह था स्कूली शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाना चाहिए। उस पर 14 जुलाई, 1966 को सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा आयु सेवानिवृत्ति की अवधि को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया। इस आदेश का पैरा 8 निम्नलिखित शब्दों में था:

"सहायता प्राप्त स्कूलों के हैड मास्टर्स सहित सभी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 1-7-1966 से 58 वर्ष कर की जाएगी। यह इस शर्त के अधीन होगा कि उच्च और प्रशिक्षण स्कूलों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी लोक शिक्षण निदेशक की पूर्व अनुमोदन के साथ शिक्षक को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तीन महीने के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकता है।

शिक्षक 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने का नोटिस देकर स्वेच्छिक सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं।”

ऊपर उल्लिखित आदेश के बाद केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 (अधिनियम 6 ऑफ 1959) के तहत बनाये गए केरल शिक्षा नियमों में सम्बंधित नियमों में एक संशोधन किया गया था। 4 मई, 1967 को सरकार द्वारा पिछले आदेशों के स्थान पर एक और आदेश जारी किया गया था। इस आदेश द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु, जिनकी सेवानिवृत्ति पर मौजूदा आदेश के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी, घटाकर 55 वर्ष कर दी गई। हालाँकि, यह कहा गया था कि वे सभी जो पहले ही 55 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं या जो आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकते हैं, वे केवल तीन महीने की समाप्ति की तारीख पर सेवानिवृत्त होंगे। अधिनियम 6 ऑफ 1959 के तहत बनाए गए केरल शिक्षा नियमों और संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा बनाए गए केरल सेवा नियमों दोनों में औपचारिक रूप से आवश्यक संशोधन किए गए थे।

हम इस स्तर पर प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान और नियमों का उल्लेख कर सकते हैं। अधिनियम 6 ऑफ 1959 राज्य में शैक्षणिक संस्थान के बेहतर संगठन और विकास के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 12(1) में प्रावधान है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा की शर्तें जिनमें वेतन, पेंशन, भविष्य निधि, बीमा और सेवानिवृत्ति की आयु से सम्बंधित शर्तें शामिल हैं, ऐसे होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। धारा 36 सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 36 के तहत जो नियम बनाए गए हैं, अर्थात्, केरल शिक्षा नियम 1959, जिसे इसके बाद "शिक्षा नियम" कहा जाएगा, मूल रूप से इसमें अध्याय XXVII शामिल था। फरवरी 1965 में इस अध्याय को XXVII-A के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। एक

और अध्याय XXVII-B जोड़ा गया। अध्याय XXVII-A में "पेंशन" शीर्षक के अंतर्गत आने वाला नियम 8 निम्नलिखित शब्दों में है:

"8. सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति की आयु होगी 55 वर्ष होगी।

ध्यान दें- उन लोगों के मामले में जो 4-9-1957 से पहले किसी सहायता प्राप्त स्कूल की सेवा में थे, सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी, इस शर्त के अधीन कि 55 वर्ष से अधिक की सेवा इन नियमों के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए योग्य नहीं होगी।"

अध्याय XXVII-B में निम्नलिखित नियमों पर ध्यान दिया जा सकता है:

"1. इस अध्याय के नियम 1-10-1964 से लागू होंगे।

2. ये नियम सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होंगे जिनके लिए अध्याय XIV(C) केरल शिक्षा नियम लागू होते हैं।

3

4. सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर लागू अधिवार्षिकी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगी।"

आचरण नियमों से संबंधित अध्याय XIV(C) में दो प्रावधान हैं जो सामग्री हैं और जिन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

"1. इस अध्याय के नियम लागू होंगे -

(i) सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक जो 1-10-1964 को सेवा में हैं और जिन्होंने इन नियमों के तहत शासित नियम 2 को चुना है; और

(ii) 1-10-1964 के बाद नियुक्त शिक्षक;

(परन्तु कि इस अध्याय में निहित कुछ भी उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जो 4-5-1967 को या पहले 55 वर्ष की आयु होने के बाद सेवा में बने रहे)

2. नियम 1 के प्रावधानों के अधीन, जो शिक्षक 1-10-1964 को सेवा में थे, उन्हें या तो अध्याय XIV(बी) के नियमों के तहत बने रहने या इन नियमों के तहत आने का विकल्प दिया जाएगा। इस तरह के विकल्प का प्रयोग इन नियमों के प्रारंभ होने से तीन महीने की अवधि के भीतर, या सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट अतिरिक्त समय के भीतर किया जाएगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। जिन शिक्षकों ने निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं चुना है, उन्हें इन नियमों का विकल्प चुना हुआ माना जाएगा।”

यह सामान्य आधार है कि सी.ए. 1789/69 में अपीलार्थी ने उपरोक्त नियमों के संदर्भ में विकल्प का प्रयोग किया। इस प्रकार अध्याय XXVII (B) के नियम 2 सपठित नियम 4 के आधार पर अधिवार्षिकी पर उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वही होगी जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होती थी।

हम सबसे पहले उपरोक्त अपील में अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्कों से निपट सकते हैं। उसकी ओर से यह दावा किया गया था कि अध्याय XXVII-A और B के प्रावधान पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं थे और वह अध्याय XXVII-A के नियम 8 के लाभ का हकदार था। चूँकि वह 4 सितंबर, 1957 से पहले एक सहायता प्राप्त स्कूल की सेवा में था, इसलिए उसकी अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी थी। खंड पीठ का दृष्टिकोण यह था कि अध्याय XXVIIA और XXVII B के प्रावधानों को जब साथ में पढ़ा जाए इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों अध्याय पारस्परिक रूप से अनन्य हैं। अध्याय XXVII B स्वतंत्र और अलग समर्थक दृष्टिकोण बनाता है जो अध्याय XXVIIA में निहित लोगों के साथ असंगत है। चूँकि सी.ए. 1789/69 में अपीलार्थी सहायता प्राप्त

विद्यालय में शिक्षक है, इसलिए अध्याय XXVIII B के नियम 4 के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के समान होगी। बाद के वर्ग के शिक्षकों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी और इसके बाद उक्त अपीलार्थी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु होगी। अध्याय XIV(सी) के नियम 2(ए) पर भी भरोसा रखा गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो शिक्षक अध्याय XIV(सी) के प्रावधानों के तहत आते हैं 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं और इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विभिन्न नियमों के स्पष्ट शब्दों के बावजूद, जिनके लिए संदर्भ दिया गया है, अपीलार्थी, जो एक सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक है, अध्याय XXVIII A के नियम 8 का लाभ प्राप्त कर सकता है। यह संभवतः उस पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक सामान्य नियम था और जब उसने अध्याय XXVIII B और अध्याय XIV(C) में निहित नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुना तो उसे सेवानिवृत्ति के मामले में भी सरकारी स्कूल के शिक्षक के समान पद पर आसीन कर दिया गया।

एक और मुद्दा जिस पर ज़ोर देकर आग्रह किया गया है वह यह है कि शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के बाद सरकार के आदेश एक समझ का परिणाम थे जिसे सरकार और शिक्षकों के बीच एक बाध्यकारी समझौते या अनुबंध के रूप में माना जा सकता है जिससे सरकार को एकतरफा विरोध करना खुला नहीं था। वैकल्पिक रूप से विबंध के सामान नियम लागू किया जा सकता है। इस तर्क का पहला अंग विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से इंगित करके निपटाया गया था कि संविधान की धारा 309 के तहत सरकार की शक्ति सरकारी कर्मचारियों या सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की है। अधिनियम 6 ऑफ़ 1959 की धारा 12 को किसी भी तरह से किसी समझौते से नहीं रोका जा सकता, भले ही ऐसा समझौता साबित हो गया हो। हमें ऐसा कोई सिद्धांत या अधिकार नहीं दिखाया

गया है जिस पर निर्भर दस्तावेज़ से कोई समझौता या अनुबंध लिखा जा सके। न ही यह समझना संभव है कि संविधान के अनुच्छेद 309 या वैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्ति को किसी भी कथित समझौते या अनुबंध द्वारा किसी भी तरीके से कैसे कम किया जा सकता है या बांधा जा सकता है। मामले की परिस्थितियों में विबंध का नियम शायद ही लागू किया जा सकता है, हालांकि इस न्यायालय के कुछ निर्णयों से समर्थन मांगा गया था।

भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड, (1) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां किसी व्यक्ति ने निर्यात संवर्धन योजना में किए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई की है कि निर्यात किए गए माल के मूल्य तक आयात लाइसेंस जारी किया जाएगा और और उसने वास्तव में माल का निर्यात किया था, उसने योजना द्वारा अनुमत अधिकतम मूल्य के लिए आयात लाइसेंस के लिए दावा किया था, मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह देखा गया कि उस मामले में दावा इक्विटी पर आधारित था जो निर्यात प्रोत्साहन योजना में सरकार की ओर से किए गए प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधित्व पर कार्य करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था। भले ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 लागू शर्तों में नहीं थी, फिर भी यह प्रतिवादी के लिए खुला था जिसने उस अभ्यावेदन पर कार्रवाई की थी और दावा किया था कि सरकार को अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य होना चाहिए, भले ही इसे संविधान द्वारा अपेक्षित औपचारिक अनुबंध के रूप में दर्ज नहीं किया गया हो। इन सिद्धांतों को शायद ही यहां लागू किया जा सकता है क्योंकि सरकार द्वारा किसी भी प्रतिनिधित्व का कोई सवाल ही नहीं है, जिस पर अपीलकर्ताओं द्वारा उनके नुकसान के लिए कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 309 और अधिनियम 6 ऑफ 1959 में निहित शक्तियों

का प्रयोग करके सेवा की शर्तों को निर्विवाद रूप से बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ताओं के लिए विबंध के नियम के सिद्धांत को लागू करना खुला नहीं था।

हमारा ध्यान भी आमंत्रित किया गया है, विशेष रूप अपीलार्थियों के ओर से से सी.ए. 1790 और 1791 में प्रदर्श पी-6 और पी-7 पर। प्रदर्श पी-6 जिला शिक्षा अधिकारी, कोट्टायम की कार्यवाही की एक प्रति है। इसमें मार्च 10, 1967 के आदेश का उल्लेख है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में सभी अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु उसमें उल्लिखित सरकारी आदेश के अनुसार 58 वर्ष कर दी गई है। इनमें से 55 वर्ष की आयु के बाद भी शिक्षक बने रहना उपयुक्तता के अधीन था। कुछ शिक्षकों की सूची दी गई जिन्हें 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी। इसी तरह प्रदर्श पी.-7 जिला शिक्षा अधिकारी, पालघाट की कार्यवाही की एक प्रति है, जिसमें 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों के नाम दिए गए थे। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्श पी-4 (जी.ओ.) दिनांक 14 जुलाई, 1966 द्वारा 1 जुलाई, 1966 से अधिवार्षिकी की आयु को बढ़ाकर 58 करने के बाद किया गया था। लेकिन फिर, जैसा कि पहले ध्यान दिया गया है, सेवानिवृत्ति की आयु को फिर से घटाकर 55 वर्ष कर दिया गया। सेवानिवृत्ति से संबंधित नियम में बदलाव वैध रूप से किया जा सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद 311(2) या अनुच्छेद 14 को लागू नहीं करता है: देखें बिशुन नारायण मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रदेश और अन्य (1)।

अपीलकर्ताओं की ओर से केरल सेवा नियमों के नियम 5 और 6 पर भी भरोसा रखा गया है। नियम 5 के अनुसार नियमों में या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा जिसका वह किसी कानून के तहत या ऐसे व्यक्ति और सरकार के बीच मौजूद किसी अनुबंध या समझौते की शर्तों के तहत नियम लागू होने की तिथि पर हकदार है। धारा 6 कहती है कि नियम 5 के प्रावधानों के अधीन, नियमों में कुछ भी या नियमों

के तहत बनाया गया कोई भी नियम सरकार के तहत एक महत्वपूर्ण पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति के नुकसान के लिए प्रभावी नहीं होगा, जिस पर नियम लागू होते हैं, "सेवा की शर्तें" वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन या किसी अन्य मामले के संबंध में जो उस पर लागू होते हैं (ए) इन नियमों के लागू होने की तारीख पर, या (बी) सरकार द्वारा बनाए गए किसी आदेश या नियम के आधार पर जब तक ऐसा व्यक्ति अपनी सहमति देता है"। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष हो जाने के बाद इन नियमों के प्रावधानों के कारण इसे घटाकर 55 वर्ष नहीं किया जा सकता है। यह मामला उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष नहीं उठाया गया था और इस न्यायालय की सामान्य प्रथा बहुत ही तीव्र प्रकृति के मामले को छोड़कर किसी भी नए मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं देती है। वर्तमान अपीलों में हमें इस न्यायालय में पहली बार इस विवाद पर विचार करने का कोई कारण या औचित्य नहीं मिलता है।

अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है लेकिन हम पक्षों को अपनी लागत खुद वहन करने पर छोड़ देते हैं।

जी.सी.

अपीलें खारिज की गईं।

(1) [1968] 2 एस.सी.आर. 366.

(1) [1965] 1 एस.सी.आर. 693.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।
